

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग
जयपुर, दिनांक
क्रमांक:पं0 22(01) चिस्वा/2/B.S. 25-26/2025 -10156
निदेशक (जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर।

स्वीकृति संख्या :-29/2026-27

विषय:-बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिन्दु सं. 278.05.00 की क्रियान्विति अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कडैल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की पदों सहित स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि:-

- 01.बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिन्दु सं. 278.05.00 की क्रियान्विति के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कडैल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।
- 02.उक्त 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत के फलस्वरूप राज्य निधि बजट मद में निम्नानुसार 15 अतिरिक्त पदों का सुजन, 02 पदों का विलोपन एवं मशीन विद् मैन की सेवाएं लिये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती हैं:-

पदनाम	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सृजित होने वाले पदों की संख्या	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कडैल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर	
		वर्तमान स्वीकृत पद	अतिरिक्त स्वीकृत नवीन पद
कनिष्ठ विशेषज्ञ	02	0	02 (मेडिसिन, सर्जरी)
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	01	0	01
चिकित्साधिकारी	02	1	01
नर्स श्रेणी प्रथम	01	1	00
नर्स श्रेणी द्वितीय	06	0	06
फार्मासिस्ट	01	1	00
सहायक रेडियोग्राफर	01	0	01
लैब टेक्नीशियन	01	1	00
कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक	01	0	01
महिला/पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	00	01	-01
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	00	01	-01
मशीन विद् मैन*	(01)	0	(01)
वार्ड ब्लॉक	04	01	03
सफाई कर्मचारी**	00	0	00
Total	20+(01)*	07	15-02=13+(01)

*मशीन विद् मैन () की सेवाएं वित्त विभाग के समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जावे।

**02 सफाई कर्मचारियों (वर्तमान में स्वीकृत 01 पद सहित)का सफाई कार्य जोब बेसिस पर Outsourcing से करवाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

-उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवायें नहीं ली जावे, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावे।

-जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभाग RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान व प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावे।

03. क्रमोन्नत चिकित्सालय का संचालन प्रारम्भ होने पर अतिरिक्त स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को राज्य निधि बजट मद 2210-03-104-01-00 CHC में उपलब्ध प्रावधान से किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

04.उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत विलोपित पदों का बजट मद वार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विलोपित किये गये पद	पदों की संख्या	राज्य निधि बजट मद
01	कडैल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	01	2210-03-197-01-04
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	01	2210-03-197-01-04

Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2026.06.24 20:53:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22632178
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152601290 दिनांक 18.05.2026 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीया,

(निशा मीना)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
7. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा नं. 98 ए, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. ई पत्रावली संख्या 10156
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2026.06.08 10:53:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22632178
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
मेल आई डी jdplan09@gmail.com

क्रमांक: BA/2025-26/PHC to CHC कडैल-अजमेर /ई-10156/योजना/विकास/2026/२३ दिनांक: १६/६/२०२६

प्रतिलिपि:—पृष्ठांकित प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के क्रमांक पं० 22(01) चिस्वा/2/2025-26/2025-10156 दिनांक 04.06.2026 के क्रम में।
2. निदेशक (अराजपत्रित) मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/ग्रा०स्वा०/अस्पताल प्रशासन) मुख्यालय।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152601290 दिनांक 18.05.2026 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कडैल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की पदों सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति अनुसार पदों को आईएफएमएस मॉड्यूल पर संबंधित बजट मदों में अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एनएचएम, मुख्यालय
6. उप निदेशक (सांख्यिकी)/उप निदेशक (योजना) मुख्यालय
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
9. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कडैल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर
10. नोडल अधिकारी (एमएनडीवाई/एमएनजेवाई) मुख्यालय।
11. संस्थापन अधिकारी (राजपत्रित/अराजपत्रित/राजहैल्थ) मुख्यालय
12. सांख्यिकी अधिकारी (जीवनांक) मुख्यालय
13. प्रभारी, सर्वररूम मुख्यालय/संबंधित प्रभारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन.स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर